Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में सरपंच 20 हजार रूपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **कार्यालय एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *04 अक्टूबर, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज डूंगरपुर में कार्यवाही करते हुये रमण मीणा सरपंच ग्राम पंचायत बोडीगामा बड़ा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर को परिवादी से **20 हजार रुपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि तालाब में मत्स्य पालन हेतु ठेके की परमीशन देने की एवज में रमण मीणा सरपंच ग्राम पंचायत बोडीगामा बड़ा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर द्वारा **40 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह राठौड़** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के डूंगरपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये रमण मीणा पुत्र श्री कचरा मीणा निवासी ग्राम बोडीगामा बड़ा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत बोडीगामा बड़ा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर को परिवादी से **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सरपंच द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि के रूप में वसूल किये गये थे।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।